सत्यमेव जयते

# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

20 श्रावण, 1948 (श०)

संख्या - 440 राँची, मंगलवार, 11 अगस्त, 2026 (ई०)

## कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

---

अधिसूचना

31 जुलाई, 2026

**सं०सं०-02/नियुक्ति-01-02/2025 का. 4992--**झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची द्वारा आयोजित संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा, 2023 के आधार पर झारखण्ड प्रशासनिक सेवा अन्तर्गत उप समाहर्त्ता के पद पर नियुक्ति हेतु श्री सुनील दास (अनुक्रमांक 23153421) की अनुशंसा अनुसूचित जाति कोटि के अन्तर्गत की गई है ।

2. झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों के नियुक्ति के पूर्व उनके शैक्षणिक / जाति/आवासीय आदि मूल प्रमाण पत्रों को जाँच/सत्यापन हेतु दिनांक 18.08.2025 से 19.08.2025 तक की अवधि निर्धारित करते हुए प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी ।

उक्त कार्यक्रम के अनुसार श्री दास को दिनांक 19.08.2025 को विभाग में उपस्थित होना था। साथ ही किसी कारण वश निर्धारित तिथि को शैक्षणिक / जाति/आवासीय आदि मूल प्रमाण पत्रों के सत्यापन कार्यक्रम में भाग नहीं ले पाने वाले अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों का जाँच/सत्यापन दिनांक 20.08.2025 को निर्धारित था ।

3. मूल प्रमाण पत्रों का सत्यापन / जाँच हेतु निर्धारित तिथियों को श्री दास उपस्थित नहीं हुए।

4. विभागीय पत्रांक 5050 दिनांक 25.08.2025 द्वारा शैक्षणिक / जाति/आवासीय आदि मूल प्रमाण पत्रों का सत्यापन / जाँच हेतु पुनः एक अवसर प्रदान करते हुए दिनांक 28.08.2025 निर्धारित किया गया। परन्तु श्री दास मूल प्रमाण पत्रों शैक्षणिक / जाति/आवासीय आदि मूल प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु उपस्थित नहीं हुए और न ही इस संबंध में श्री दास द्वारा किसी प्रकार की सूचना दी गई ।

5. श्री दास से प्राप्त आवेदन में उल्लेख है कि वर्तमान में उप निदेशक AFHQ रक्षा मंत्रालय भारत सरकार में कार्यरत है तथा अपने पद से Technical Resignation हेतु समय की आवश्यकता है अतएव नियुक्ति समय को छः माह के लिए बढ़ाने का अनुरोध किया गया ।

विभागीय पत्रांक 5736 दिनांक 25.09.2025 द्वारा पुनः शैक्षणिक / जाति / आवासीय आदि मूल प्रमाण पत्रों का सत्यापन / जाँच दिनांक 03.10.2025 को अंतिम अवसर प्रदान करते हुए निर्धारित किया गया। परन्तु श्री दास उपस्थित नहीं हुए।

झारखण्ड संयुक्त असैनिक सेवा परीक्षा नियमावली 2021 के नियम 37 के आलोक में प्रमाण पत्रों का सत्यापन के उपरांत आपको नियुक्ति पत्र निर्गत होने के तिथि से योगदान हेतु अधिकतम तीन माह का समय दिया जा सकता है ।

वर्णित तथ्यों के आलोक में सम्यक विचारोपरांत अतिरिक्त समय दिये जाने के बावजूद भी आज तक शैक्षणिक / जाति/आवासीय आदि मूल प्रमाण पत्रों का सत्यापन / जाँच हेतु उपस्थित नहीं होने के कारण राज्य सरकार द्वारा श्री सुनील दास (अनुक्रमांक 23153421) की झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा उप समाहर्त्ता के पद पर की गई अनुशंसा / नियुक्ति को रद्द करने का निर्णय लिया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**इश्तियाक अहमद,**
सरकार के अपर सचिव ।

---

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 440 - 50